

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)

सं.14013/09/2012-अ.भा.से.-III

भारत सरकार


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च, 2014

### अधिसूचना

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 बैच के हरियाणा राज्य संवर्ग के सदस्य श्री एन. के. सोलंकी को दिनांक 01.04.2012 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

  
(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)